संख्या-25/2015/654/47-का-3-2015-13/4/2014

प्रेषक,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव
उ0प्र0 अधनीस्थ सेवा चयन आयोग
पिकप भवन, पंचम तल, गोमती नगर
लखनऊ।

विषय - वित्तीय वर्ष 2015-2016 के व्यय के लिए उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयोग के पत्र संख्या-198/लेखा-आयोग/2014-2/1(30)/2014-169, दिनांक 19.11.2014 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-221/2015, दिनांक 30.03.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को वेतन भत्तों आदि के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2015-2016 हेतु आय-व्ययक के अन्तर्गत उ0प्र0 विनियोग अधिनियम, 2015 (अधिनियम संख्या-2 सन् 2015) द्वारा स्वीकृत बजट रू0-14,96,62,000/-(रूपये चौदह करोड़ छियानबे लाख बासठ हजार मात्र) में से मद संख्या-14-मोटर गाड़ियों का क्रय में प्राविधानित धनराशि रू0-27,27,000/- (रूपये सत्ताईस लाख सत्ताईस हजार मात्र) केा छोड़ कर अवशेष प्राविधानित धनराशि रू0-14,69,35,000/-(रूपये चौदह करोड़ उन्हत्तर लाख पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय स्वीकृति जिसका मदवार विवरण निम्नवत है, सचिव उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि हजार रूपये में)

मद संख्या एवं मद का नाम	**बजट सहित्य पृष्ठ-11 के अनुसार स्वीकृत कुल धनराशि**	**प्रथम छः माह (अप्रैल, 2015 से सितम्बर, 2015) तक अवमुक्त की जाने वाली धनराशि**
01- वेतन	37500	18750
02- मजदूरी	1500	750
03- मॅहगाई भत्ता	45000	22500
04- यात्रा व्यय	1000	500
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10	5
06- अन्य भत्ते	6000	3000
07- मानदेय	100	50
08- कार्यालय व्यय	2500	1250
09- विद्दयुत देय	1500	750
11- लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	2000	1000
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3000	1500
13- टेलीफोन व्यय	1000	500
15- गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	500	250
16- व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2500	1250
17- किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	6000	3000
19- विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	6000	3000
23- गुप्त सेवा व्यय	25000	12500
29- अनुरक्षण	100	50
45- यात्रा व्यय	200	100

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	4000	2000
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1000	500
49- चिकित्सा व्यय	500	250
51- वर्दी व्यय	25	12.50
योग	**14,69,35,000**	**7,34,67,500**

(रूपये सात करोड़ चौंतिस लाख सरसठ हजार पॉच सो मात्र)

2- विनियोग अधिनियम द्वारा स्वीकृत/ उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का उपयोग केवल चालू योजनाओं पर ही किया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में उक्त धनराशि का उपयोग वर्ष 2015-2016 की नयी मदों के कार्यान्वयन के लिए नही किया जायेगा।

3- स्वीकृत व्यय पूरा करने के लिए प्रदेशनों (एलाटमेंट्स) में से धनराशि का विनियोग बजट मैनुअल के सम्बद्ध नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों द्वारा नियंत्रित होगा। धनराशि का प्रदेशन मात्र से ऐसा व्यय करने का कोई अधिकार नही होगा, जिसे करने के लिए बजट मैनुअल तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों के अन्तर्गत जहॉ सक्षम प्राधिकारी की अनुमोदन की आवश्यकता हो, व्यय करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

4- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आबंटन एवं आबंटित/ वितरित धनराशि के सक्षम किए गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16-94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

5- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/दस-2004-मि0-1/2004, दिनांक 07.01.2005 का विशेष रूप से पालन किया जाए।

6- उपर्युक्त व्यय अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2051-लोक सेवा आयोग-103-कर्मचारी चयन आयोग-आयोजनेत्तर-03 उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-25/2015/654(1)/47-का-3-2015-13/4/2014, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) वरिष्ठ लेखाधिकारी (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) निदेशक, वित्त सांख्यकीय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5.
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनभाग-1/ 2.
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(पी0बी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।